



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं. 2417/2011 जिला चित्तौड़गढ़  
 उन्वान ने 21100/10/2 POS इ. ए. ए. विभागीय, निम्नोक्त vs. A.C. No. 1047/10/1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-3-2015	<p style="text-align: center;"><b>खण्डपीठ</b>  <b>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</b>  <b>श्री मनोहरपुरी, सदस्य</b></p> <p>व्यवसायी वकील श्री वी.के.पारीक एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>व्यवसायी वकील श्री वी.के.पारीक ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि व विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार की Amnesty स्कीम 2015 के तहत राहत लेना चाहते हैं। अतः विचाराधीन प्रकरण को विद्वान करने का निवेदन किया। इस पर विभागीय पैरोकार को कोई एतराज नहीं है।</p> <p>अतः विचाराधीन प्रकरण अपील संख्या 2417/2011 जरिये विद्वान खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">               सदस्य              राजस्थान कर बोर्ड,              अजमेर         </p> <p style="text-align: center;">               सदस्य              राजस्थान कर बोर्ड,              अजमेर         </p>	